

देवाश्रम शिक्षण संस्थान की वरिष्ठ शाखा

स्वामी देवानन्द स्नातकोत्तर

मठ-लार, देवरिया। (उ०प्र०) 274502



Estd-1964

सम्बद्ध विश्वविद्यालय

दीनद दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर



स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विवरणिका



श्री अभयानन्द गिरि जी महाराज प्रबन्धक

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुःसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

शिक्षा संस्थाएँ ज्ञान गंगा हुआ करती है। यह जीवन के अंधकार को मिटाती है और वैभव एवं ऐश्वर्य से जीवन में प्रकाश को फैलाती है। शिक्षा व्यक्ति की जड़ता को समाप्त कर उसमें गतिशीलता लाती है और उसके भूअवतरण के उद्देश्य को सार्थक करती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है तथा उसे समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाती है। आज अधिकांश शिक्षण संस्थाएँ केवल धनोर्पाजन का माध्यम बनती जा रही है, पठन-पाठन औपचारिक एवं महत्वहीन होता जा रहा है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि समाज को अच्छे नागरिक मिलने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। समाज का यह बिगड़ता स्वरूप निश्चित ही दुःखद है एवं घातक है।

ऐसी विषय परिस्थितियों में समाज और राष्ट्र के रक्षार्थ सनातन धर्म एवं उसकी संस्थाएँ सदैव ही आगे आती रही है। उसी परम्परा के निर्वहन में देवाश्रम शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों के माध्यम से समाज और राष्ट्र को मजबूत एवं स्वावलम्बी बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। नई सदी में अनन्य नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने शिक्षित एवं संस्कारी युवा तैयार करने की जिम्मेदारी उठा रखी। युवाओं में एक रचनात्मक दृष्टिकोण एवं राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी एवं समर्पण की भावना को जागृत करने का निःस्वार्थ भाव से प्रयास हमारी यह उच्च शिक्षा की संस्थान कर रही है। अपनी शिक्षण संस्थाओं से हमारी अभिलाषा समाज और देश के लिए अच्छे नागरिक उत्पन्न करने की है, न की धनोर्पाजन करने की। देवाश्रम शिक्षण की यह वरिष्ठ शाखा शिक्षा का नया आयाम तैयार करने में सतत् प्रयासरत् है। महाविद्यालय के प्राचार्य, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, अध्यापक एवं कर्मचारी निरन्त अपने योगदान से समाज को परिष्कृत करते हुए समृद्ध एवं वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण में निःस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। महाविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य एवं छात्र/छात्राओं को उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद है।



प्रोफेसर ब्रह्मानन्द सिंह
प्राचार्य

इक्कीसवीं सदी में सूचना-प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास सम्पूर्ण विश्व को वैश्वीकृत ग्राम के रूप में परिवर्तित कर रहा है। भू-मण्डलीकरण के इस परिवेश ने विश्व के समक्ष विविध प्रकार के अवसर एवं नयी चुनौतियां उत्पन्न की है, जिसका प्रभाव भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों पर दृष्टिगोचर है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मानव व्यक्तित्व के निर्माण में विनियोजन तथा व्यक्ति के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र के सृजन की आधारशिला है। अतः ज्ञान विज्ञान तथा वैश्वीकरण के इस परिवेश में एक शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका शिक्षा जगत की है। इस उच्चादर्शों की प्राप्ति गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के बिना सम्भव नहीं है, इसी प्रयोजन से भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना तथा उच्च शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान में विद्यमान आवश्यकताओं एवं भविष्य की सम्भावनाओं तथा सामाजिक अपेक्षाओं के आलोक में किया जाना अपेक्षित है। अतः अब उच्च शिक्षा के द्वारा सुयोग्य एवं उत्कृष्ट चरित्रधारी एवं वैज्ञानिक स्वभाव (साइंटिफिक टेम्परामेंट) के प्रबुद्ध पीढ़ियों का निर्माण करना इसका निहितार्थ है, इसके साथ ही यह समझना आवश्यक है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में अनुशासन, सामाजिक समरसता, धर्मनिर्पेक्षता, पर-कल्याण, राष्ट्र-निर्माण की भावना तथा सामाजिक रूढ़िवादिता का परित्याग आदि उच्चादर्शों के विकास के अभाव में शिक्षा अपूर्ण है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के गुणात्मक विकास तथा आधुनिक संसाधनों एवं उच्चकोटि की शिक्षण व्यवस्था आवश्यक है। हमारा महाविद्यालय अपने प्रदेश तथा जनपद के अंतिम छोर पर अवस्थित है, अतः उच्च शिक्षा के उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में हमारे समक्ष अनेकानेक चुनौतियां हैं, किन्तु महाविद्यालय परिवार के योग्यतम, कुशल तथा ऊर्जावान शिक्षकों एवं दक्ष तथा कार्यकुशल कर्मचारियों के साथ मिलकर हम उन चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए महाविद्यालय परिसर में शिक्षण-प्रशिक्षण का अनुकूल वातावरण बना सकेंगे इसी आशा एवं विश्वास के साथ हम अपने मार्ग पर अग्रसर हैं।

देवाश्रम मठ का संक्षिप्त इतिहास

जनजीवन में नैतिक मूल्यों के सृजन और आध्यात्मिकता एवं सनातन की रक्षा करते हुए जीवन और जगत की गूढ़ मान्यताओं के प्रचार-प्रसार की दिशा में मठों एवं संतों की अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। मठ और आश्रम अपने इतिहास के प्रारम्भिक काल से ही समाज के संरक्षक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में जाने जाते रहे हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में स्थित लार का देवाश्रम मठ भारतीय संस्कृति, सनातन आस्था, राजनीति और शिक्षा का एक प्राचीन सिद्धपीठ है। स्थानीय जनमानस में इस पीठ का बहुत ही आदर एवं सम्मान है। विविध स्रोतों से प्राप्त जानकारी तथा जन-श्रुतियों के आधार पर इस आश्रम का अस्तित्व एवं इतिहास लगभग ढाई सौ साल पुराना है।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बंगाल प्रान्त के मालदह जिले के तत्कालीन गोलाघाट के **महन्त स्वामी लवंग गिरि** के शिष्य सन्त कुशल गिरि जी महाराज (मौनी गिरि जी महाराज) तीर्थाटन के क्रम में प्रयाग आये और वहाँ से काशी आकर टेकरा मठ के सामने रहने लगे। वहाँ से धार्मिक भ्रमण करते हुए मौनी बाबा लार की पावन धरती पर अपने अलौकिक कदम रखे और इसे अपनी साधना की तपोभूमि बना लिए। इसी क्रम में सन्त परम्परा के आठवें सिद्ध महात्मा योगिराज स्वामी देवानन्द जी महाराज ने आज से लगभग एक सौ वर्ष पूर्व यहाँ भारतीय संस्कृति एवं सनातन से ओतोप्रोत जनजीवन निर्मित करने के उद्देश्य से देवाश्रम मठ की स्थापना की।

इस नगर के 'लार' नामकरण के पीछे भी एक किंवदन्ती है कि- कभी यहाँ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था, जहाँ वे तपस्या किया करते थे। एक दिन पार्श्ववर्ती जंगल में घास खाती गाय को व्याघ्र ने अपना आहार बनाने के लिए दौड़ा लिया। भयातुर गाय प्राण रक्षा हेतु भागने लगी। थकान और भयवश होकर उस गाय के मुख से जितने क्षेत्र में लार गिरा, उतने क्षेत्र का नाम "लार" पड़ गया। महात्मा मौनी बाबा यहाँ कुटी की स्थापना कर नित्य पूजापाठ तथा साधना करने लगे। कालान्तर में वही देवस्थान "देवाश्रम मठ" के नाम से अस्तित्व में आया।

यह मठ श्री महानिर्वाणी आखड़ा पंचायती के सानिध्य में उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। इस मठ की महन्त परम्परा में सर्वप्रथम नाम "मौनी गिरि बाबा" का आता है। इनका मूल नाम "कुशल गिरि" था। इनके बाद इस मठ की अद्यावधि महन्त परम्परा विकसित होती रही है। इस परम्परा के पूर्वार्द्ध की जानकारी जनश्रुतियों तथा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से ही उपलब्ध हो पायी है। अखाड़ा परम्परा के अभिलेखों से **महन्त श्री अभयानन्द गिरि** जी महाराज इस मठ के ग्यारहवें महन्त हैं। इनसे पूर्व की दस पीढ़ियों के महात्माओं के नाम निम्नवत् है-

क्रम	नाम
1	श्री श्री १००८ स्वामी कुशल गिरि जी महाराज (मौनी बाबा) १७३० से १७५० तक
2	महन्त श्री स्वामी शिवनाथ गिरि जी महाराज (नागा बाबा) १७५० से १७७१ तक
3	महन्त श्री स्वामी सेवा गिरि जी महाराज १७७१ से १८०२ तक
4	महन्त श्री स्वामी फूल गिरि जी महाराज १८०२ से १८३० तक
5	महन्त श्री स्वामी मनरूप गिरि जी महाराज १८३० से १८५२ तक
6	महन्त श्री बलिराम गिरि जी महाराज १८५२ से १८८५ तक
7	महन्त श्री रामगोविन्द जी महाराज १८८५ से १९१० तक
8	महन्त श्री स्वामी देवानन्द जी महाराज १९१० से १९५१ तक
9	महन्त श्री स्वामी चन्द्रशेखर गिरि जी महाराज १९५१ से १९८१ तक
10	महन्त श्री स्वामी भगवान गिरि जी महाराज १९८१ से २०२३ तक

स्नातक प्रवेश निर्देशिका

स्नातक स्तर के (बी०ए०/बी०यस्-सी- जीवविज्ञान/बी०यस्-सी-गणित) विभिन्न पाठ्यक्रमों में (जिनकी योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष की है) निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से प्रवेश के लिए आनलाईन आवेदन-पत्र महाविद्यालय के वेबसाइट www.sdpgec.in पर आमंत्रित करेगा। प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश से सम्बंधित प्रमाणित सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहे।

स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध विषय:-

कला वर्ग (B.A.)

- 1- समाजशास्त्र
- 2- हिन्दी
- 3- अंग्रेजी
- 4- संस्कृत
- 5- इतिहास
- 6- भूगोल- (प्रयोगात्मक विषय)
- 7- शिक्षाशास्त्र
- 8- मनोविज्ञान- (प्रयोगात्मक विषय)
- 9- राजनीतिशास्त्र
- 10- प्राचीन इतिहास
- 11- अर्थशास्त्र
- 12- शारीरिक शिक्षा- (प्रयोगात्मक विषय)

आवश्यक सूचना:- कला वर्ग के विद्यार्थी प्रयोगात्मक विषयों में से केवल 01 (एक) विषय का ही चयन कर सकते हैं।

विज्ञान वर्ग (B.Sc.)

- 1- जन्तु विज्ञान
- 2- वनस्पति विज्ञान
- 3- रसायन विज्ञान
- 4- भौतिक विज्ञान
- 5- गणित
- 6- शारीरिक शिक्षा

पंजीकरण शुल्क

क्र०सं०	संवर्ग	शुल्क
1-	सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग	रु० 300.00

पंजीकरण शुल्क में न तो किसी प्रकार की छूट मिलेगी और न ही भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क वापस किया जायेगा।

विषय संयोजन समूह (Subject Combination)

कला वर्ग (B.A.)

ग्रुप-A	ग्रुप- B	ग्रुप- C	ग्रुप- D	ग्रुप-E	ग्रुप-F
Geography	English	Hindi	Sociology	History	Political Science
Psychology	Sanskrit		Economics	Ancient History	
Physical Education	Education				

विशेष:-

- छात्र/छात्रा को उपरोक्त विषय संयोजन समूह (Subject Combination Group) में से किसी भी 03 समूहों से एक-एक विषय का चयन करना होगा।
- भूगोल विषय का चयन केवल वे ही अभ्यर्थी कर सकते हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा में भूगोल विषय के साथ अध्ययन किया हो अथवा विज्ञान संवर्ग से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

विज्ञान वर्ग (B.Sc.)

बायो ग्रुप-A	मैथ ग्रुप-B	कम्बाइन ग्रुप-C
दोनों विषयों का चयन करना होगा	दोनों विषयों का चयन करना होगा	किसी एक विषय का चयन होगा
Zoology	Physics	Chemistry
Botany	Mathematics	Physical Education

विशेष:-

- अभ्यर्थी जिस विषय ग्रुप से 12वीं कक्षा में अध्ययन किया हो उसी विषय विषय ग्रुप से स्नातक कक्षा में प्रवेश ले सकेगा।

विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम

- 1- महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क अथवा धन नकद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2- आवेदक स्वयं ही आनलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने शुल्क का भुगतान करें। किसी भी बाहरी व्यक्ति के बहकावों में आकर अपने धन एवं कीमती समय का नुकसान न करें। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रवेश पाने के तरीके को अपनाने से आपको होने वाली क्षति के लिए महाविद्यालय प्रशासन अथवा इसका कोई कर्मचारी दोषी/जिम्मेदार नहीं होगा।
- 3- आवेदक द्वारा आनलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान किए गये शुल्क की वापसी केवल तकनीकी कारणों से हुई त्रुटि के कारण ही की जायेगी, अन्य किसी भी कारण से भुगतान किए गये शुल्क की वापसी कदापि सम्भव नहीं है।
- 4- प्रवेश के उपरान्त छात्र/छात्राओं द्वारा कराये जा रहे विभिन्न परिवर्तनों के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

क्र.सं०	परिवर्तन का क्षेत्र	निर्धारित शुल्क
1	विषय परिवर्तन	रु० 50.00 प्रति विषय
2	कक्षा परिवर्तन	रु० 250.00
3	प्रवेश निरस्त	रु० 350.00

प्रवेश एवं शुल्क भुगतान से सम्बंधित प्रक्रिया

- 1- प्रत्येक छात्र/छात्राओं को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में पिछली कक्षा के परिणाम के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 2- यदि कोई छात्र या छात्रा प्रवेश लेने के उपरान्त उस सत्र की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो उसके शुल्क का समायोजन अथवा उसकी वापसी नहीं होगी।
- 3- महाविद्यालय में उपलब्ध किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट www.sdpqc.org पर जायें और दिये गये निर्देशों के अनुसार अपना आवेदन पत्र पूरित करते हुए शुल्क का भुगतान करें। **महाविद्यालय प्रवेश के लिए केवल आनलाइन शुल्क भुगतान को ही स्वीकार करता है, नगद शुल्क को स्वीकार नहीं किया जायेगा।**
- 4- शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने के उपरान्त पूरित किए गये आवेदन पत्र की 01 प्रति प्रिंट आउट निकाल लें तथा समस्त आवश्यक प्रपत्रों को संलग्न कर उस पर अपने पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर अंकित करा कर महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने के लिए स्वयं उपस्थित हो, अन्य किसी के द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 5- पूरित आवेदन पत्र 02 कार्यदिवस में महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करने के लिए उपस्थित होंगे, यहाँ आपका **Biometric** सत्यापन किया जायेगा। संलग्नकों की जाँच की जायेगी उसके बाद आपका प्रवेश सत्यापित अथवा निरस्त किया जायेगा।
- 6- सफलता पूर्वक सत्यापित आवेदन पत्र के अभ्यर्थी का ही प्रवेश विधिक एवं स्थायी माना जायेगा। केवल आवेदन पत्र पूरित कर देना एवं शुल्क का भुगतान कर देने मात्र से ही आपका महाविद्यालय में प्रवेश स्थायी और विधिक नहीं होगा।
- 7- प्रवेश आवेदन पत्र पूरित करने में अपना स्वयं का ही मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी अंकित करें।

प्रवेश का Fee Receipt Cum Confirmation Letter

आपके आवेदन पत्र के सत्यापन के उपरान्त कार्यालय द्वारा आपको शुल्क विवरण के साथ आपके प्रवेश की पुष्टि का एक पत्र निर्गत किया जायेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप गम्भीरता से जाँच कर लें कि इस पत्र में आपके प्रवेश से सम्बंधित विवरण एवं भुगतान की राशि सही-सही अंकित है। यदि कोई विसंगति मिलती है तो उसे कार्यालय से यथाशीघ्र सही करा लें।

प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता

स्नातक स्तर पर			
क्रम	प्रवेश हेतु चयनित पाठ्यक्रम	आवश्यक अर्हता	संलग्नक
1	स्नातक कला (B.A.)	इण्टरमीडिएट किन्हीं विषयों से उत्तीर्ण	10 th तथा 10+2, अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड,
2	स्नातक विज्ञान (B.Sc.)	इण्टरमीडिएट विज्ञान के विषयों से उत्तीर्ण	10 th तथा 10+2, अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड,

परीक्षा की प्रक्रिया

- 1- स्नातक स्तर पर **CBCS प्रणाली** के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाएँ होगी। किसी भी विषय अथवा प्रश्न पत्र के क्रमबद्धता के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम के निर्धारण की प्रत्याभूत (Guaranty) नहीं दी जा सकती है।
- 2- प्रत्येक विषय में निर्धारित **Assignment** एवं **Project** को निर्धारित समय के अन्दर सम्बंधित विभागों में जमा करना होगा।
- 3- प्रयोगात्मक विषयों के लिए विभागों से आवंटित प्रयोगात्मक सामग्री को तैयार कर घोषित प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्बंधित छात्र/छात्राओं को उपस्थित होना होगा।
- 4- छात्र/छात्रा द्वारा छोड़े गये किसी भी परीक्षा (सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक अथवा मौखिक) को पुनः कराने के लिए महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।
- 5- परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करते समय अपने विषयों का चयन सही से करें, परीक्षा आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं है।
- 6- परीक्षा से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किए गये प्रवेश पत्र के आधार पर ही आपको परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा, बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।
- 7- परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने की स्थिति में आप द्वारा जमा किया गया शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही किसी मद में समायोजित किया जायेगा। यह नियम प्रत्येक दशा में लागू होगा तथा इस बात को कोई प्रभाव नहीं होगा कि छात्र/छात्रा ने शुल्क भुगतान के पश्चात कक्षा में उपस्थित रहा है अथवा नहीं।

CBCS प्रणाली

- 1- प्रत्येक **06** महीने (सेमेस्टर) पर यानी **01** वर्ष में कुल **2** सेमेस्टर की लिखित परीक्षा होगी।
- 2- प्रत्येक **03** महीने पर महाविद्यालय स्तर पर मिड-टर्म परीक्षाएँ होंगी जिसमें प्रत्येक छात्र छात्रा को सम्मिलित होना अनिवार्य है।
- 3- प्रत्येक सेमेस्टर में **Assignment** एवं **Project** बनाने के साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षा में भी सम्मिलित होना अनिवार्य है।
- 4- इस प्रणाली के अन्तर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पूरे **09** शैक्षणिक सत्र का अवसर प्रदान किया जाता है।
- 5- प्रत्येक सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जैसे- परीक्षा शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य का भुगतान करना होगा।

CBCS के लिए परीक्षा पैटर्न (Choice Credit System)

- 1- CBCS पैटर्न में परीक्षा **25%** आंतरिक और **75%** वाह्य आकलन पर आधारित होगी।
- 2- CBCS/Semester प्रणाली में अंक का वितरण इस प्रकार होगा:-

(अ)	मिड-टर्म परीक्षा	30 अंक
(ब)	इण्ड-टर्म परीक्षा	45 अंक
(स)	प्रेक्टिकल	25 अंक

- 3- (अ) मिड-टर्म परीक्षा 30 अंको की होगी जिसमें 10 अंक (उपस्थिति, असाइनमेंट, फील्ड रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट) सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा आवंटित किया जायेगा। जबकी 20 अंक मिड-टर्म के वस्तुनिष्ठ प्रकार के या सब्जैक्टिव प्रकार की होंगी।
- (ब) प्रैक्टिकल के 25 अंकों में से 10 अंक प्रैक्टिकल (अटेंडेंस, असाइनमेंट, फील्ड रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रैक्टिकल रिकार्ड कॉपी आदि) आंतरिक मूल्यांकन और 15 अंकों का मूल्यांकन अंतरिक एवं वाह्य परीक्षक द्वारा उनके प्रैक्टिकल अभ्यास और मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
- (स) 45 अंकों की इण्ड टर्म की अंन्तिम परीक्षा बाहरी होगी और जिसके लिए बाहरी परीक्षक का नाम/पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 4- नान प्रैक्टिकल- 40 अंक मिड-टर्म के होंगे और 60 अंक अंतिम अवधि में होंगे।
- 5- केवल प्रैक्टिकल- 100 अंक आंतरिक-वाह्य परीक्षक द्वारा संचालित प्रैक्टिकल के होंगे।

CBCS प्रणाली की अधिसूचना

दीनदयालय उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के माननीय कुल सचिव के पत्रांक संख्या 415/कमेटी/2021 दिनांक 13 नवम्बर 2021 द्वारा जारी अधिसूचना-

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अधिसूचना 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी०सी० दिनांक 13 जुलाई 2021 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार क्रेडिट घंटे और लोड वाले सीबीसीएस/सेमेस्टर सिस्टम के तहत न्यूनतम समान पाठ्यक्रम, जिसके अनुसार एक क्रेडिट का मतलब प्रति सप्ताह एक घण्टे की सैद्धान्तिक कक्षा अथवा दो घण्टे की प्रायोगिक कक्षा अथवा एक घण्टे की ट्यूटोरियल कक्षा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किये जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया है और प्रत्येक पाठ्यक्रम को एक शीर्षक एवं एक कोड दिया गया है। पाठ्यक्रम कोड पाठ्यक्रम शीर्षक विवरण तथा क्रेडिट लोड के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम सभी सम्बंधित विभागाध्यक्षों एवं कुलसचिव कार्यालय में सहायक कुलसचिव (अकादमिक) के पास उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने मेजर कोर्स (3 विषय) माइनर (इलेक्टिव), माइनर (केरिकुलर), माइनर (वोकेशनल) आदि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन पाठ्यक्रमों को तदनुसार तैयार किया गया है। मेजर/माइनर श्रेणी के तहत प्रत्येक छात्र को एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में पास होने के लिए कितना न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करना होगा, इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छात्र को इन पाठ्यक्रमों के लिए अपना पंजीकरण कराना होगा तथा शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरान्त ही छात्र को नामांकन संख्या/पंजीकरण संख्या/प्रवेश पत्र इत्यादि उपलब्ध हो सकेगा।

Appendix-A (Four Year UG Programme Framework From 2024-2025)

चार वर्षीय पाठ्यक्रम का स्वरूप सत्र 2024-2025 से

कक्षा का वर्ष	सेमेस्टर	कुल क्रेडिट	मेजर विषय-1	मेजर विषय-2	माइनर विषय-1	Skill Enhancement Course (SEC)	Ability Enhancement Course (AEC)	रिसर्च प्रोजेक्ट विषय	अध्ययन स्थिति	उपाधि
प्रथम वर्ष	1	23	उसी संकाय से	उसी संकाय से	उसी संकाय से या किसी अन्य संकाय से भी	Physical Fitness and Recreation	Pt. Deendayal Upadhyaya-Vichar Evam Darshan	कोई नहीं	दो सेमेस्टर के उपरान्त अध्ययन छोड़ने पर	Certificate in Faculty
	2	23	वही विषय	वही विषय	उसी संकाय से या किसी अन्य संकाय से भी	महाविद्यालय में निर्धारित प्रश्न-पत्र	महाविद्यालय में निर्धारित प्रश्न-पत्र	कोई नहीं		
द्वितीय वर्ष	3	23	वही विषय	वही विषय	उसी संकाय से या किसी अन्य संकाय से भी	महाविद्यालय में निर्धारित प्रश्न-पत्र	महाविद्यालय में निर्धारित प्रश्न-पत्र	कोई नहीं	चार सेमेस्टर के उपरान्त अध्ययन छोड़ने पर	Diploma in Faculty
	4	23	वही विषय	वही विषय	उसी संकाय से या किसी अन्य संकाय से भी	कोई नहीं	महाविद्यालय में निर्धारित प्रश्न-पत्र	दो मेजर विषयों में से कोई एक विषय		
तृतीय वर्ष	5	20	वही विषय	वही विषय	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	छः सेमेस्टर के उपरान्त अध्ययन छोड़ने पर	Degree in Faculty
	6	20	वही विषय	वही विषय	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं		
चतुर्थ वर्ष	7	20	वही विषय	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	आठ सेमेस्टर के उपरान्त अध्ययन छोड़ने पर	UG Honors
	8	20	वही विषय	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं		
या जो छात्र/छात्रा प्रथम सेमेस्टर से छः सेमेस्टर तक 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।										
चतुर्थ वर्ष	7	20	वही विषय	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	रिसर्च प्रोजेक्ट	आठ सेमेस्टर के उपरान्त अध्ययन छोड़ने पर	UG Honors with Research
	8	20	वही विषय	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	रिसर्च प्रोजेक्ट		

अनुशासनिक नियम

- 1- प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- 2- महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करते समय महाविद्यालय द्वारा आपको निर्गत किये गये परिचय-पत्र को अपने पास रखें। बिना परिचय-पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश करने पर आप अवांछनीय/अराजक तत्व माने जायेंगे, जिस कारण आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 3- महाविद्यालय के भवन, सम्पत्ति एवं धरोहर को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाना एक आपराधिक कृत्य माना जायेगा, ऐसा करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- महाविद्यालय परिसर अथवा उसके किसी भी भाग पर धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल, किसी भी स्तर का अनशन, किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर विधिक रूप से तथा आर्थिक रूप से दण्ड का प्राविधान है।
- 5- किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा अपने अध्ययन के दौरान यदि महाविद्यालय को कुछ भी नुकसान किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति राजस्व नियम से वसूल की जायेगी।
- 6- महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्र/छात्राओं से यदि कोई दुर्व्यवहार या सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो छात्र/छात्रा का यह व्यवहार अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। अपराध की प्रकृति और गम्भीरता के अनुरूप दण्ड का प्राविधान है। जिसमें चेतावनी देना, अर्थदण्ड लगाना, महाविद्यालय से दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित किया जाना, महाविद्यालय से निलम्बित करना, चरित्र प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण, स्नान्तरण प्रमाण-पत्र न निर्गत किया जाना, निस्सारण (Rustication) एवं अन्य न्यायिक विधिक प्रणाली द्वारा दण्डित किया जा सकता है।

छात्रसंघ

- 1- छात्र हित में महाविद्यालय में छात्रसंघ अस्तित्व में है।
- 2- छात्रसंघ के निर्वाचन का कार्य शासन एवं प्रशासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय के प्रशासनिक समिति के सहमति के उपरान्त ही लिंगदोह समिति द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार कराया जायेगा।
- 3- छात्रसंघ के चुनाव में विजयी प्रत्याशी केवल 01 शैक्षणिक सत्र के लिए ही चुने जायेंगे। **अगले शैक्षणिक सत्र में यदि किन्हीं कारणों से छात्रसंघ का चुनाव नहीं होता है तो ऐसा कदापि नहीं है कि पिछले शैक्षणिक सत्र के विजयी पदाधिकारी अनवरत अपने पद पर बने रहेंगे।** शैक्षणिक सत्र समाप्त होते ही छात्रसंघ के समस्त पदाधिकारियों का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त/निरस्त हो जायेगा।
- 4- छात्रसंघ के निर्वाचन में केवल इस महाविद्यालय के संस्थागत छात्र ही प्रत्याशी, हो सकते हैं।
- 5- भूतपूर्व/व्यक्तिगत/अंक सुधार/बैंक पेपर तथा एकल विषय के छात्र/छात्राओं को छात्रसंघ के चुनाव में न तो प्रत्याशी होने का अधिकार होगा और न ही मतदान करने का, ऐसे छात्र/छात्राएँ छात्रसंघ चुनाव के किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते।
- 6- छात्रसंघ निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी संस्था की इमारत पर अथवा उसके किसी भी भाग पर प्रचार सामग्री न तो लिखेगा और न ही चस्पा करेगा।
- 7- छात्रसंघ चुनाव में मतदान का अधिकार केवल उन्हीं संस्थागत छात्र/छात्राओं को होगा जिनके पास महाविद्यालय से निर्गत वर्तमान सत्र का परिचय-पत्र होगा। अन्य किसी भी माध्यम से छात्र/छात्रा को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- 8- छात्रसंघ निर्वाचन में किसी भी पद के लिए प्रत्याशी का प्रवेश महाविद्यालय में चुनाव अचार संहिता लगने से पूर्व होना चाहिए।
- 9- छात्रसंघ चुनाव में तिथियों या निर्वाचन के संदर्भ में महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई प्रत्याभूत (Guaranty) नहीं दिया जा सकता। महाविद्यालय अपनी और शासन-प्रशासन की सुविधा के अनुसार निर्वाचन से सम्बंधित तिथियों का निर्धारण करेगा।
- 10- महाविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में छात्रसंघ का निर्वाचन कराने के लिए बाध्य नहीं होगा।

छात्रावास

- 1- महाविद्यालय परिसर में कुल **03** छात्रावास अवस्थित है।
- 2- छात्रावास केवल संस्थागत छात्र/छात्राओं को ही आवंटित किया जायेगा।
- 3- छात्र/छात्राओं को छात्रावास के कमरे केवल वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए ही आवंटित किया जायेगा।
- 4- प्रत्येक नई कक्षा में प्रवेश के उपरान्त ही नए सिरे से छात्रावास में कमरे आवंटित किये जायेंगे।
- 5- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में आवंटित छात्रावास के कमरे के लिए नवीन शुल्क जमा करना होगा।
- 6- महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रावास में कमरा पाने का मौलिक अधिकार नहीं है।
- 7- जिन छात्र/छात्राओं को छात्रावास में कमरे आवंटित किये गये हैं उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे कमरे के या छात्रावास के किसी भी भाग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
- 8- छात्रावास में किसी भी प्रकार की पार्टी अथवा समारोह का आयोजन छात्र/छात्रा द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 9- छात्रावास में किसी भी छात्र/छात्रा के माता-पिता, भाई-बहन, अभिभावक, रिश्तेदार अथवा मित्र आदि का प्रवेश नहीं होगा।
- 10- महिला छात्रावास में निर्धारित स्थान पर एक निश्चित समयावधि तक छात्राएँ सिर्फ उसी से मिल सकती हैं जिनका विवरण छात्रा ने छात्रावास में कमरा आवंटित कराते समय महाविद्यालय को उपलब्ध कराया है।
- 11- समय-समय पर महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी/वार्डन छात्रावास का औचक निरीक्षण कर सकते हैं।
- 12- छात्रावास में कोई भी छात्र/छात्रा हीटर, ब्लोवर, या गीजर का प्रयोग नहीं करेगा।
- 13- छात्रावास में केवल रहने की सुविधा प्रदान की जाती है, छात्र/छात्रा को अपने विस्तर एवं भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 14- छात्रावास में किसी भी प्रकार की असुविधा होने से छात्रावास के वार्डन से सम्पर्क करें।
- 15- छात्रावास की सुरक्षित धनराशि को छात्र/छात्रा के अन्तिम रूप से महाविद्यालय छोड़ने (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र TC) के उपरान्त ही आवेदन करने पर वापस दिया जायेगा।
- 16- छात्र/छात्रा द्वारा छात्रावास में प्रवास के दौरान यदि कोई क्षति किया जायेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति महाविद्यालय में जमा उसके सुरक्षित धनराशि से किया जायेगा, यदि छात्र/छात्रा द्वारा किये गये क्षति की पूर्ति सुरक्षित धनराशि से नहीं होती है तो राजस्व के विधान से क्षतिपूर्ति वसूल की जायेगी।

छात्रावास के शुल्क का विवरण

शुल्क का मद	सिंगल बेड के कमरे	डबल बेड के कमरे
छात्रावास सुरक्षित धनराशि	2500.00	1500.00 प्रति बेड
01 शैक्षणिक सत्र के लिए कमरे का किराया	4500.00	3500.00 प्रति बेड

छात्रावास में प्रवेश की समय सारणी

सर्दियों में	गर्मियों
रात 06:00 बजे के बाद छात्रावास से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।	रात 07:00 बजे के बाद छात्रावास से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
रात 07:30 बजे के बाद छात्रावास में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।	रात 08:30 बजे के बाद छात्रावास में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

पुस्तकालय

छात्र/छात्राओं के सुगम एवं सरल अध्ययन के लिए महाविद्यालय में वृहद पुस्तकालय उपलब्ध है । जहाँ से प्रवेश पा चुके छात्र/छात्राओं को उपलब्धता के आधार पर केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकें निर्गत की जायेगी ।

पुस्तकालय के नियम एवं शर्तें

- 1- पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करते समय छात्र/छात्रा को स्वयं ही उपस्थित होना होगा, प्राप्तकर्ता के पुस्तक प्राप्ति का सत्यापन **Biomatrics** आधार पर किया जायेगा ।
- 2- पुस्तकालय से वितरित पुस्तकों को सुरक्षित रखना प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी होगी ।
- 3- पुस्तकालय के पुस्तकों के मद में प्रत्येक छात्र/छात्राओं को निर्धारित सुरक्षित धनराशि प्रवेश के समय जमा करना होगा, जब प्राप्तकर्ता द्वारा महाविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित (पुस्तक का बिना कोई भाग नष्ट किये) पुस्तकें जमा कर दी जायेगी तो **04** कार्य दिवस के अन्दर सुरक्षित धनराशि छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में महाविद्यालय द्वारा जमा करा दिया जायेगा ।
- 4- महाविद्यालय के पुस्तकालय से निर्गत पुस्तकों को परीक्षा शुरू होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा ।
- 5- महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें ही वितरित की जायेगी, छात्र/छात्रा द्वारा किसी विषय विशेष अथवा लेखक विशेष की पुस्तक की मांग को पूरा किया जाना सम्भव नहीं है ।
- 6- छात्र/छात्रा द्वारा पुस्तकों को यदि समय से महाविद्यालय को वापस नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय के बाद प्रतिदिन के आधार पर अर्धदण्ड वसूल किया जायेगा । यदि सुरक्षित धनराशि से विलम्ब शुल्क की पूर्ति नहीं होती है तो, अतिरिक्त विलम्ब शुल्क का भुगतान छात्र/छात्रा को करना होगा ।
- 7- पुस्तकों के खो जाने पर या आंशिक अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर छात्र/छात्रा को पुस्तक पर अंकित पूरे मूल्य को चुकाना होगा ।
- 8- यदि छात्र/छात्रा निर्धारित समय के अन्दर पुस्तकों को महाविद्यालय को वापस नहीं करता है तो महाविद्यालय द्वारा बार-बार पुस्तक वापस करने की दी जाने वाली समस्त सूचनाओं के माध्यम पर होने वाले व्यय को छात्र/छात्रा को ही भुगतान करना होगा ।
- 9- बार-बार सूचना देने के बावजूद भी छात्र/छात्रा महाविद्यालय की पुस्तकों को वापस नहीं करता है तो इसे शासकीय धन का अपहरण माना जायेगा । ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा के नाम से प्राथमिकी (**FIR**) दर्जा करा कर राजस्व के नियमों के अधीन कार्यवाही करते हुए पुस्तक अथवा उसके मूल्य की वसूली की जायेगी ।

पुस्तकालय के अर्थ दण्ड की सूची

क्रमांक	शुल्क का मद	अवधि	निर्धारित अर्थ दण्ड
1	पुस्तकें वापस न करने पर	निर्धारित अवधि के उपरान्त	Rs. 03.00 प्रति दिन
2	SMS Charge	निर्धारित अवधि के उपरान्त पुस्तक महाविद्यालय में जमा करने का संदेश देने पर	Rs. 03.00 प्रति Text SMS
3	पंजीकृत डाक	निर्धारित अवधि के उपरान्त लिखित रूप से पुस्तक महाविद्यालय में जमा करने की सूचना प्रेषित करने पर	Rs. 50.00 प्रति डाक
4	पुस्तक के आंशिक अथवा पूर्णतः नष्ट होने पर	निर्धारित अवधि के अन्दर	पुस्तक पर अंकित मूल्य के बराबर । (निर्धारित अवधि के उपरान्त उपरोक्त क्रमांक 01 में उल्लिखित दण्ड भी देना होगा)
5	पुस्तक के खो जाने पर	निर्धारित अवधि के अन्दर	पुस्तक पर अंकित मूल्य के बराबर । (निर्धारित अवधि के उपरान्त उपरोक्त क्रमांक 01 में उल्लिखित दण्ड भी देना होगा)

शैक्षणिक पंचांग

क्र०सं०	विवरण	समावधि
1	शैक्षणिक सत्र का आरम्भ	16 जुलाई से
2	शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि	विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जायेगा।
3	शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष में प्रवेश की तिथि	योग्यता प्रदायी कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के 20 कार्यदिवस तक।
4	प्रवेश पा चुके छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय से पुस्तक वितरण	महाविद्यालय द्वारा तिथि घोषित की जायेगी।
5	छात्रसंघ चुनाव	शासन एवं प्रशासन के निर्देश पर।
6	परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने का समय	विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जायेगा।
7	सभी लिखित परीक्षाएँ	दिसम्बर एवं जून में (सेमेस्टर के अनुसार) वि०वि० के कार्यक्रम के अनुसार।
8	परीक्षाफल की घोषणा	वि०वि० के अधीन।
9	ग्रीष्मावकाश	01 जून से 15 जुलाई तक

आरक्षण

आरक्षण नवीन शासनादेशों के अधीन होगा-

(क) उर्ध्व आरक्षण:- केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (UP Domicile) के लिए:-

- | | |
|---------------------|------------|
| 1- अनुसूचित जाति | 21 प्रतिशत |
| 2- अनुसूचित जनजाति | 02 प्रतिशत |
| 3- अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 प्रतिशत |

आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र प्रवेश सत्यापन के समय महाविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्गत जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो।

(ख) क्षैतिज आरक्षण:-

- | | |
|---|------------|
| 1- शारीरिक रूप से दिव्यांग | 05 प्रतिशत |
| 2- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/पौत्री/प्रपौत्री) | 02 प्रतिशत |
| 3- भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, अपंग रक्षाकर्मी अथवा उसके पाल्य | 02 प्रतिशत |
| 4- कारगिल युद्ध में शहीद रक्षाकर्मी के आश्रित | 01 प्रतिशत |
| 5- कश्मीर विस्थापित/कश्मीर घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू के पाल्य | 05 प्रतिशत |
| 6- कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) | 01 प्रतिशत |

(ग) शासनादेश संख्या कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-3/2019/4/12002/का-2/19टीसी-II दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये आरक्षण अनुमन्य है।

शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रवेश परीक्षा के भारांक

यदि प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगी तो निम्न भारांक (वेटेज) दिया जायेगा।

- (अ) (i) महिला अभ्यर्थियों के लिए 02%
- (ii) एन०सी०सी० मे 'बी' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्र/छात्राओ के लिए 02%
- (iii) स्काउट/गाइड सर्टिफिकेट प्राप्त छात्र/छात्राओ के लिए 02%

टिप्पणी:- उपर्युक्त में प्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा। किसी अभ्यर्थी को किन्ही दो छूटों के आधार पर 04 प्रतिशत से अधिक अधिभार देय नहीं होगा।

- (ब) महाविद्यालय एवं देवाश्रम शिक्षण संस्थान के सेवारत/सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र/पुत्री एवं पत्नी/पति को 06 प्रतिशत अधिभार अनुमन्य है।

टिप्पणी:- इस अधिभार का लाभ केवल महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ही दिया जायेगा। (अ) और (ब) को मिलाकर अधिभार की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत ही होगी।

महत्वपूर्ण:- नीचे दी गई तालिका में प्रमाणपत्र के सम्मुख अंकित राज्य अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र का नाम	सक्षम अधिकारी
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)	जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
दिव्यांग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध मे शहीद, अपंग रक्षाकर्मी के पाल्य का प्रमाण पत्र	जिला सैनिक अधिकारी
कार्यरत सैनिक एवं उसके पाल्य	कमान अधिकारी
महाविद्यालय एवं देवाश्रम शिक्षण संस्थान के सेवारत/सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्य का प्रमाण पत्र	सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

महाविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के माध्यम

1- सीधे प्रवेश (Direct Admission) :-

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र/छात्राएँ उपयुक्त प्रपत्रों एवं अर्हता के आधार पर सीधे आवेदन कर शुल्क का भुगतान करके निर्धारित सीट के सापेक्ष प्रवेश ले सकेंगे।

2- मेरिट के आधार पर प्रवेश:-

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा निश्चित सीमा तक आवेदन आमंत्रित करना होगा, तद्नंतर योग्यता प्रदायी कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर कम्प्यूटरीकृत मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। मेरिट लिस्ट में चयनित छात्र/छात्राएँ निर्धारित समय तक आनलाइन शुल्क का भुगतान कर के महाविद्यालय में अपना प्रवेश पा सकते हैं।

3- विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश परीक्षा के आधार पर:-

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, परीक्षा में सफल अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के द्वारा महाविद्यालय पर प्रवेश के लिए भेजा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट पर जा कर अपना आवेदन पत्र पूरित करेंगे और शुल्क का भुगतान करेंगे।

4- महाविद्यालय स्तर से प्रवेश परीक्षा के आधार पर:-

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, परीक्षा में सफल अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट पर जा कर अपना आवेदन पत्र पूरित करेंगे और शुल्क का भुगतान करेंगे।

सुरक्षित धनराशि (Caution Money)

प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्राओं को सुरक्षा निधि (Caution Money) जमा करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय से अध्ययन समाप्त होने के 03 वर्ष के अन्दर आवेदन कर के यह जमा किये गये सुरक्षित धनराशि को वापस प्राप्त कर लेंगे, अध्ययन समाप्त होने के 03 वर्ष के बाद सुरक्षा धनराशि की वापसी नहीं होगी।

सुरक्षित धनराशि की वापसी किसी भी दशा में नकद रूप में नहीं की जायेगी। छात्र/छात्रा द्वारा प्रवेश के समय उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आवेदन के उपरान्त 03 कार्य दिवस में महाविद्यालय द्वारा जमा करा दी जायेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवकाश

क्रसं०	त्योहार	घोषित दिन
1	मकर संक्रान्ति	01
2	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती	01
3	गणतन्त्र दिवस	01
4	मौनी अमावस्या	01
5	बसंत पंचमी	01
6	मो० हजरत अली का जन्मदिन	01
7	संत रविदास जयन्ती	01
8	महाशिवरात्रि	01
9	सब्बे बरात	01
10	होली	03
11	गुडफ्राइडे	01
12	डा०भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन	01
13	रामनवमी	01
14	महावीर जयन्ती	01
15	ग्रीष्मावकाश	वि०वि० द्वारा निर्धारित किया जायेगा
16	इडुल फितर	01
17	बुद्ध पूर्णिमा	01
18	मेला सैयद सालार	01
19	इडुल अजहा (बकरीद)	01
20	नागपंचमी	01
21	स्वतंत्रता दिवस	01
22	मोहर्रम	01
23	रक्षाबन्धन	01
24	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी	01
25	अनन्त चतुर्दशी	01
26	चेहल्लुम	01
27	महात्मा गान्धी जयन्ती	01
28	पितृविरसजन	01
29	दशहरा	05
30	ईद-ए-मिलाद/बारावफात	01
31	दीपावली	04
32	गोर्वधन पूजा	01
33	भैयादूज (यमदुतिया)/चित्रगुप्त पूजा	01
34	छठ पूजा पर्व	01
35	कार्तिक देवोत्थानी एकादशी	01
36	गुरुनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा	01
37	गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस	01
38	डा० भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस	01
39	क्रिसमस दिवस	01
40	शीतावकाश	वि०वि० द्वारा निर्धारित किया जायेगा

समस्त अवकाशों के निर्धारित दिनों में कमी अथवा वृद्धि करने का सर्वाधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

श्री महानिर्वाणी आखाडा पंचायती

यह संस्थान श्री महानिर्वाणी अखाडा पंचायती, दारागंज, प्रयागराज के द्वारा संरक्षित है। इस अखाडे के अधीन निम्नलिखित संस्थाएँ कार्य कर रही है।

क्रम सं०	संस्थान का नाम	संचलन का स्थान
1	महानिर्वाणी वेद विद्यालय	प्रयागराज
2	स्वामी देवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय	मठ-लार, देवरिया
3	स्वामी देवानन्द संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय	मठ-लार, देवरिया
4	स्वामी देवानन्द इण्टर कालेज	मठ-लार, देवरिया
5	श्री देवराष्ट्र भाषा लघु मा० विद्यालय	मठ-लार, देवरिया
6	स्वामी चन्द्र शेखर गिरि बालिका विद्यालय	मठ-लार, देवरिया
7	मानव विकास संघ	गोलगड्डाए काशी
8	श्री अन्नपूर्णा संस्कृत विद्यालय, अन्नपूर्णा मंदिर	वाराणसी
9	श्री कपिल मुनि नेत्र चिकित्सालय	पिहोवा, हरियाणा
10	बाबा हरिपुरी इण्टर कालेज	कसावा
11	चन्द्रशेखर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	चांदबादए नासिक
12	श्री सन्यासी संस्कृत महाविद्यालय	वाराणसी
13	श्री काशी विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय	अहमदाबाद
14	श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय	उत्तर काशी
15	श्री जयेन्द्रपुरी साइंस एण्ड आर्ट्स कालेज	भडौंच
16	श्री कृष्णानन्द कालेज ऑफ कामर्स एण्ड लॉ	भडौंच
17	श्री भारती विद्यालय	कनखल, हरिद्वार
18	श्री काशी देवी संस्कृत विद्यालय	वाराणसी
19	श्री मनोहर संस्कृत पाठशाला	अहमदाबाद
20	स्वामी विद्यानन्द विद्या बिहार विद्यालय	बडौदा, गुजरात
21	देवी संसद संस्कृत महाविद्यालय शुक्रदेवानन्द डिग्री कालेज	शाहजहांपुर
22	एकसारानन्द संस्कृत महाविद्यालय एवं इण्टर कालेज	मैनपुरी
23	सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय	फगवाडा
24	का०अ० संस्कृत महाविद्यालय	विला पारले (बम्बई)
25	महन्त प्रभातपुरी बालिका विद्यालय	कुरुक्षेत्र, (थानेश्वर)
26	महन्त गंगापुरी आरण्य महादेव सेवा समिति	पेहुआ (हरियाणा)

सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति

दीनदयान उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति के कार्यकाल

क्र०सं०	नाम	कब से	कब तक
01	श्री भैरव नाथ झा	11.04.1957	10.03.1961
02	जस्टिस बिन्दवासनी प्रसाद	19-04.1961	16.10.1961
03	डॉ० अविनाश चन्द्र चटर्जी	16.10.1961	02.03.1965
04	श्री मदन मोहन	03.03.1965	02.03.1968
05	श्री केनन पी०टी० चाण्डी	21.03.1968	01.07.1970
06	श्री सी० बालकृष्ण राव	15.08.1970	05.03.1972
07	जस्टिस गंगेश्वर प्रसाद	01.05.1972	30.06.1973
08	डॉ० देवेन्द्र शर्मा	09.07.1973	20.11.1976
09	डॉ० हरिशंकर चौधरी	21.11.1976	27.08.1980
10	श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी	28.08.1980	27.02.1983
11	प्रो० बेनीमाधव शुक्ल	28.02.1983	27.02.1986
12	प्रो० वी०डी० गुप्त	28.02.1986	27.02.1989
13	प्रो० (श्रीमती) प्रतिमा अस्थाना	28.02.1989	24.08.1990
14	प्रो० भूमित्र देव	25.08.1990	24.03.1991
15	प्रो० (श्रीमती) प्रतिमा अस्थाना	25.03.1991	27.02.1991
16	प्रो० विश्वम्भर शरण पाठक	28.02.1992	10.04.1994
17	प्रो० राधे मोहन मिश्र	11.04.1994	09.06.1994
18	प्रो० विश्वम्भर शरण पाठक	10.06.1994	29.11.1994
19	प्रो० राधे मोहन मिश्र	30.11.1994	19.07.1995
20	श्री के० सी० पाण्डेय	20.07.1995	04.11.1995
21	प्रो० रमेश कुमार मिश्र	07.11.1995	28.02.1999
22	प्रो० राधे मोहन मिश्र	28.02.1999	28.02.2002
23	प्रो० रेवती रमण पाण्डेय	28.02.2002	27.07.2004
24	प्रो० ए० के० मित्तल	27.07.2004	18.11.2004
25	प्रो० अरुण कुमार	19.11.2004	11.08.2007
26	प्रो० ए० के० मित्तल	12.08.2007	05.03.2008
27	श्री राजीव कुमार (आई०ए०एस०)	06.03.2008	25.04.2008
28	श्री पी० के० महान्ति (आई०ए०एस०)	25.04.2008	26.05.2008
29	प्रो० एन० एस० गजभिये	26.05.2008	02.03.2009
30	श्री० पी० के० महान्ति (आई०ए०एस०)	07.03.2009	29.06.2009
31	प्रो० एस० एल० मलिक	29.06.2009	16.08.2010
32	श्री० पी० के० महान्ति (आई०ए०एस०)	16.08.2010	19.01.2011
33	प्रो० (डॉ०) पी० सी० त्रिवेदी	20.01.2011	19.01.2014
34	प्रो० राजेन्द्र प्रसाद	20.01.2014	12.02.2014
35	प्रो० अशोक कुमार	13.02.2014	12.02.2017
36	डॉ० पृथ्वीश नाग	13.02.2017	28.04.2017
37	प्रो० विजय कृष्णा सिंह	29.04.2017	05.09.2020
38	प्रो० राजेश सिंह	05.09.2020	04.09.2023
39	प्रो० पूनम टंडन	04.09.2023	